



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425-254988(का.), 01425-254039 (फैक्स)

e-mail Id : comptroller@sknau.ac.in

डॉ. डी. आर. शिवरान
वित्त नियंत्रक

क्रमांक : एफ.3()/श्रीकनकृवि/वि.नि./निविदा/टेन्टेज/2017-18/2862 दिनांक : 07.10.2017

निविदा सूचना

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के दीक्षांत समारोह व गांव आई दान का बास, पंचायत समिति दूदू, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में होने वाले स्मार्ट ग्राम समारोह एवं विश्वविद्यालय के अन्य समारोहों में डोम टाईप तथा वाईट हाउस पांडाल टाईप टेन्टेज इत्यादि कार्यों के लिए समान तरह के कार्यों की अनुभवी फर्मों से मुहरबंद निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धित अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in अथवा <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

निविदा प्रपत्र दिनांक 23.10.2017 को प्रातः 11:00 बजे तक कार्यालय समय में निविदा शुल्क तथा बोली प्रतिभूति जमा कराकर प्राप्त कर दिनांक 23.10.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक जमा कराएँ जा सकते हैं।

वित्त नियंत्रक



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425-254988(का.), 01425-254988 (फैक्स)

e-mail Id : comptroller@sknau.ac.in

डॉ. देवा राम शिवरान
वित्त नियंत्रक

क्रमांक : एफ.3()/श्रीकनकृषि/वि.नि./निविदा/टेन्टेज/2017-18/2862 दिनांक : 07.10.2017

निविदा सूचना

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के दीक्षान्त समारोह व स्मार्ट गाँव, आईदान का बास में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों हेतु टेन्ट व अन्य सामग्री आपूर्ति/कार्य/सेवाओं के लिए दर संविदा (Rate Contract) हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (Bid security) (₹)	निविदा शुल्क (₹)
1.	टेन्ट सामग्री (Tentage) की आपूर्ति एवं स्थापना	9.00	18,000.00	500.00
2.	भोजन, नाश्ता, लन्च एवं डीनर की आपूर्ति	2.00	4,000.00	
3.	पेयजल की आपूर्ति	0.20	400.00	
4.	गमलो में अलंकृत पौधों की किराए पर आपूर्ति	0.15	300.00	
5.	विडियोग्राफी एवं फोटोबुक तैयार करना	0.40	800.00	

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित निविदा शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के पक्ष में बनवाकर दिनांक 23.10.2017 को प्रातः 11:00 बजे तक वित्त नियंत्रक कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) से प्राप्त कर अथवा www.sknau.ac.in अथवा sppp.raj.gov.in से डाउनलोड करके दिनांक 23.10.2017 को ही दोपहर 12:00 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ उपस्थित निविदा दाताओ/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 23.10.2017 को अपराह्न 12:15 बजे खोली जाएगी। प्रत्येक सामग्री/कार्य के लिए पृथक - पृथक निविदा मय निविदा शुल्क व बोली प्रतिभूति के भी प्रस्तुत की जा सकती है।

निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को होगा।

वित्त नियंत्रक



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425-254988(का.), 01425-254988 (फैक्स)

e-mail Id : comptroller@sknau.ac.in

डॉ. देवा राम शिवरान
वित्त नियंत्रक

क्रमांक : एफ.3()/श्रीकनकृवि/वि.नि./निविदा/टेन्डेज/2017-18/2862 दिनांक : 07.10.2017

अंतिम तिथि - 23.10.2017 समय:- दोपहर 12.00 बजे

बोली प्रतिभूति (Bid security) @2%

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

टेन्ट सामग्री व अन्य सामग्री आपूर्ति/कार्यो/सेवाओं के लिए दर संविदा हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. टेन्ट सामग्री व अन्य सामग्री आपूर्ति/कार्यो/सेवाओं के लिए दर संविदा हेतु निविदा (कार्य का अवलोकन करें).....
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,
डाक का पता, टेलीफोन न० एवं TAN No.
3. सम्पर्क कार्यालय का पता
4. किसको संबोधित किया गया - वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)
5. निविदा सूचना संदर्भदिनांक.....
6. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि ₹..... वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के पक्ष में बैंकर चैक/डी.डी. द्वारा जमा करा दी गई है।
7. हम, वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्यादिनांक..... में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं)।
8. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न वित्तीय निविदा प्रपत्र 'ब'-I-V में दर्शाई गई दरें सभी कर एवं शुल्क सहित अंकित करें। GST की दरें पृथक से भी अंकित करें। दरें शब्दों एवं अंकों में दी जाएगी। वित्तीय निविदा (प्रपत्र 'ब') पृथक सीलबंद लिफाफे में रखी जाएगी।
9. सामग्री/कार्य जिसके लिए निविदादाता अपनी दरें प्रस्तुत करता है, उसके नमूने, यदि आवश्यक हो तो, पृथक से सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करेंगे।

10. प्रपत्र 'ब'-I-V में दी गई दरें अनुमोदन की तिथि से लगभग 18 माह (अक्टूबर, 2017 से मार्च, 2019 तक) के लिए मान्य होगी तथा सामान विभिन्न चरणों में विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु दर संविदा की जानी है।
11. निविदा सूचना में अंकित राशि ₹ बोली प्रतिभूति (Bid security) के रूप में वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के पक्ष में बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क०सं०	विवरण	राशि (₹)
-------	-------	----------

12. निविदा के साथ नमूने, यदि आवश्यक हो तो संलग्न है।
13. निविदा फार्म के साथ GST पंजीकरण प्रमाण पत्र व VAT/CST/GST चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14. विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि का घोषणा पत्र प्रपत्र 'स' संलग्न है।
15. निविदा फार्म के साथ गत तीन वर्षों में ब्लेक लिस्ट नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' संलग्न है।
16. निविदा फार्म के साथ Fall Clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'य' संलग्न है।

नोट :- निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति (Bid security), नमूने (Samples), VAT/CAT/GST पंजीकरण व चुकता प्रमाण पत्र तथा विनिर्माता/डीलर/ अधिकृत विक्रेता के घोषणा पत्र आदि के अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक

टेन्ट सामग्री व अन्य सामग्री आपूर्ति/कार्य/सेवाओं की दर संविदा (Rate Contract) हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्तें

1. निविदा दो भाग यथा- तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में होगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।
2. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तें निविदा का भाग मानी जाएगी। सामान की आपूर्ति विश्वविद्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु होगी।
3. मूल निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब'-I-V में ही निविदादाता अपनी दरें दर्शाएँ। विश्वविद्यालय प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
4. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक लिफाफे में रखकर, दोनों निविदा प्रपत्र एक बड़े मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी जिस पर टेन्ट सामग्री व अन्य सामग्री आपूर्ति/कार्य/सेवा के लिए निविदा अंकित होना चाहिए।
5. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान विश्वविद्यालय व अधीनस्थ इकाइयों द्वारा फर्म द्वारा आदेशित मात्रा व निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार आपूर्ति करने पर सामान्यतया एक माह में कर दिया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज या अन्य अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।
6. निविदा के साथ बोली प्रतिभूति (Bid security) वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के पक्ष में बैंकर चैक/डी.डी. द्वारा स्वीकार्य होगी। बोली प्रतिभूति (Bid security) के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
7. सफल निविदादाता को निविदा राशि के 5 प्रतिशत राशि के समतुल्य कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी तथा नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यदेश/क्रयादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं विश्वविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

9. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
10. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की काँट छँट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। काँट छँट/ओवर राईटिंग होने पर निविदा रद्द की जा सकेगी।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को होगा।
12. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
13. क्रयादेश/कार्यादेश के अनुसार सामान/सामग्री/सेवा की आपूर्ति क्रयादेश/कार्यादेश में उल्लेखित अवधि में करनी होगी।
14. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेगी।
15. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 23.10.2017 को प्रातः 11:00 बजे तक वित्त नियंत्रक कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) से प्राप्त किए जाकर दिनांक 23.10.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे एवं दिनांक 23.10.2017 को अपराह्न 12:15 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएँगे। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
17. दर संविदा समयावधि आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है।

18. तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मों की वित्तीय निविदा किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय की तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी निविदा को रद्द किया जा सकेगा तथा बोली प्रतिभूति (Bid security) जब्त की जा सकेगी।
19. बोली प्रतिभूति (Bid security) राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत और कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत ली जाएगी अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। **निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'व') में शपथ पत्र भी संलग्न करना है।**
20. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price preference) की हकदार नहीं है, द्वारा निविदत दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा अर्थात् स्थानीय व बाहरी फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत की जाएगी।
21. निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिक्विडेटेड डेमेज राशि 2.5 से 10.0 प्रतिशत वसूल की जाएगी। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किये गये कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:-
- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5
 - (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10.00
22. विश्वविद्यालय को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को एकाधिक फर्मों को आवंटित किए जाने का अधिकार होगा।
23. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर वित्त नियंत्रक कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिए गए

आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।

24. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को सामग्री/सेवा की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र **प्रपत्र 'य'** भी संलग्न करना होगा।
25. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी **प्रपत्र 'द'** संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।
26. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** - बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-
- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
27. **सत्यनिष्ठा संहिता** - उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति -
- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्त, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

28. हित का विरोध -

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
 - (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
 - (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
 - (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
 - (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति

जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

29. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण - प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

- 1 **अपील:-** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते

हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘र’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जौन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. **अपील का प्रारूप** - (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप **(प्रपत्र-‘र’)** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
 - (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
 - (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
3. **अपील फाइल करने के लिए फीस** - (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
 - (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
4. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** - (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख

नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

30. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को होगा।

31. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

वित्त नियंत्रक

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
जोबनेर (जयपुर)

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
मोहर

टेन्ट (Tentage) सामग्री की आपूर्ति हेतु अन्य तकनीकी शर्तें

1. निविदादाता को मुख्यमंत्री/राज्यपाल/विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह स्तर के दो कार्यक्रमों में डोम टाइप वाटर प्रूफ टेन्ट (निविदा के स्पेशिफिकेशन के अनुसार) लगाने का अनुभव होना चाहिए। प्रमाणस्वरूप कायदेश एवं सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न करने का प्रमाण पत्र संलग्न करे ।
2. फर्म को आदेशानुसार एवं गठित पाण्डाल समिति के निर्देशानुसार कार्य करना होगा एवं समस्त कार्य कार्यक्रम की तिथि से एक दिवस (24 घण्टे) पूर्व तक पूर्ण करना होगा। कायदेश में अंकित सामग्री की मात्रा अनुमानित है, जो घटाई-बढ़ाई जा सकती हैं।
3. दरों में सभी प्रकार के सामान का किराया एवं उसका लाना, लगाना तथा समारोह के पश्चात् सामान को हटाना व वापिस ले जाना इत्यादि सभी कार्य शामिल किए जाने हैं। सभी सामान की सुरक्षा एवं उसकी चौकीदारी की जिम्मेदारी भी आपूर्तिकर्ता की ही होगी। इस हेतु किसी प्रकार की कोई व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जाएगी अथवा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। फर्म द्वारा प्रयुक्त सामग्री हेतु एक दिन का किराया देय होगा।
4. फर्म को सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे धूप, तेज वर्षा (वाटर प्रूफ) हवा, आंधी इत्यादि की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पंडाल को सभी दृष्टि से मजबूत एवं सुरक्षात्मक बनाना होगा ताकि समारोह के दौरान एकाएक किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हों। कार्य प्रारम्भ करने से लेकर एवं पंडाल लगाने के बाद से समारोह समाप्ति तक फर्म के कम से कम 10 कार्यकर्ता/तकनीकी स्टॉफ पंडाल में ही मौजूद रहेंगे, जिन्हें प्रत्येक दिन तीन बार (सुबह, दोपहर और सायं) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिकारी को उपस्थिति दर्ज करानी आवश्यक है ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध हो सकें।
5. विद्युत हेतु जनरेटर फर्म द्वारा उपलब्ध करवाना होगा। समस्त वायरिंग आवश्यकतानुसार पूरे पंडाल में पूर्ण सुरक्षात्मक तरीके से दक्ष (अनुभवी) पंजीकृत विद्युतकर्मी के द्वारा सभी मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए फर्म को ही सुनिश्चित करनी होगी। समस्त वायरिंग को सावधानीपूर्वक लगाना होगा। फर्श पर होने वाली वायरिंग को टेप (इंसुलेशन) लगाकर सुरक्षित करना होगा।
6. समस्त सामान साफ सुथरा व मजबूत ही प्रयोग में लेना होगा। गन्दा, फटा हुआ या पेबन्द लगा हुआ नहीं लगाया जा सकेगा, अन्यथा भुगतान देय नहीं होगा।
7. पीने के पानी की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी परन्तु पीने के पानी के लिए टेबिल मय सफेद साफ कवर उपलब्ध कराना होगा।
8. पंडाल में लगाए गए एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराए गए समस्त सामान का सत्यापन सक्षम अधिकारी के विस्तृत प्रमाणीकरण बाद ही तदनुसार बिल का भुगतान वास्तविक माप/संख्या के सत्यापन उपरान्त ही संभव होगा।
9. समारोह की व्यवस्था एवं समारोह के दौरान फर्म अथवा उसके प्रतिनिधि की गलती से विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार की क्षति/आर्थिक हानि होती है तो उसकी वसूली फर्म को देय भुगतान से की जा सकती है।
10. लाईटें निर्धारित स्थान पर दक्ष (अनुभवी) पंजीकृत लाईटमेन द्वारा लगाई जाएगी। किसी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
11. कायदेश में अंकित सामग्री आदेश देने के पश्चात् कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से 03 दिवस पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुँचाकर कार्य प्रारम्भ कर एवं निर्धारित अवधि में व्यवस्था

करनी होगी। सामग्री उतारने व लगाने में कोई दुर्घटना, चोरी आदि से हुई हानि की जिम्मेदारी फर्म की होगी। उचित यही होगा कि फर्म टेन्ट, लाईट सामग्री आदि का बीमा अपने स्तर पर करवा लें। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी।

12. कार्य समाप्त होने पर फर्म द्वारा लगाए गए श्रमिकों को पूर्ण भुगतान करने का प्रमाण-पत्र देना होगा तथा बाल श्रमिक नहीं लगाने का भी प्रमाण पत्र देना होगा।
13. प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री (सोफा, कुर्सियाँ, स्टील कुर्सियाँ एवं टेबल इत्यादि) मजबूत एवं साफ-सुथरी तथा समारोह की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए।
14. कार्यक्रम के दौरान जनरेटर को चलाने की व्यवस्था फर्म को करनी होगी तथा इस दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।
15. जनरेटर सैट के डीजल उपयोग के लिए हावर्स (घण्टे) संयोजक, पाण्डाल समिति को समय-समय पर नोट कराना होगा। उसी के सत्यापन के आधार पर ही डीजल का प्रचलित दर से भुगतान होगा।
16. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की शर्तों एवं विश्वविद्यालय में प्रचलित अन्य नियम व शर्तों की अनुपालना करनी होगी।
17. फर्म को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिनांक तक विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति से लगाए गए सामान का निरीक्षण व सत्यापन कराना होगा।



वित्त नियंत्रक

वित्तीय निविदा
(पृथक लिफाफे में रखे)

क.सं. 1 टेन्ट सामग्री (Tantage) की आपूर्ति एवं स्थापना

प्रपत्र 'ब'-1

क.सं.	कार्य	कुल अनुमानित मात्रा	दर (₹) (समस्त आनुषंगिक व्यय एवं भाड़ा सहित) प्रति इकाई (वर्गफुट/ नग / घण्टा/जॉब/ Rft.)	जीएसटी (%)	जीएसटी (₹)	कुल दर (₹) (4+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Type Water proof Super Structure with new selling 64'x 180' fo Jobner and 64'x90' for Idan ka bas	17520 Sq. ft.				
2.	White Pipe Pandal	6600 Sq. ft.				
3.	Stage Plateform with New Carpet 20'x40'x3', steps (200) etc.	1600 Sq. ft.				
4.	Two Seater White Leather Sofa	100 Nos.				
5.	Banquit Chair with White Cover	1400 Nos.				
6.	Red / Green Carpet	18500 Sq. ft.				
7.	Jambo Pedestal Fan	40 Nos.				
8.	Tower AC 3 Ton	13 Nos.				
9.	Helogen Lights (LED)	20 Nos.				
10.	Welcome Gate	4 Nos.				
11.	Barricading	1000 Rft.				
12.	VIP Toilet	2 Nos.				
13.	Flag With Pole	200 Nos.				
14.	Dias for VVIP with Blue Blazer and seven later chairs	2 Nos.				
15.	Table With Cover & Frill	150 Nos.				
16.	Metal Light	16 Nos.				
17.	Genset 125 KVA Silent type	3 Nos.				
18.	Diesel For Genset	12 Hrs.				
19.	Flower Decoration on Dias , Podium & Back Drop	2 Job				
20.	P.A Syatem for main Pandal with mixer Cordless mic. , Podium mic. etc.	2 Job				
21.	Jambo cooler	45 Nos.				
22.	Governor Chair	2 Nos.				
23.	Dressing Table	4 Nos.				
24.	VIP Room for H.E. the Governor	2 Nos.				
25.	Flower decoration on procession path	1 Job				
26.	General toilet ladies and gents	2 Nos.				
27.	Simple pipe tent	10000 Sq. ft.				
28.	Halwai tent 30'x15'	450 Sq. ft.				
29.	Plastic chairs	700 Nos.				
30.	Manually operated curtain with pelmet	2 Nos.				
31.	Remote operated curtain with pelmet	2 Nos.				
	Total					

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

वित्तीय निविदा
(पृथक लिफाफे में रखें)

क्र.सं. 2 नाश्ता, भोजन- लंच/डिनर आदि की आपूर्ति हेतु दर संविदा :

प्रपत्र 'ब'-II

S.No.	Particulars	Approx. quantity (Units)	Rate per unit (₹)				Total Amount (₹)	
			With Catering	GST	Without Catering	GST	With Catering	Without Catering
I.	Breakfast -I	50						
1.	Malai Burfee							
2.	Cuckies-Biscuit-2							
3.	Vaffors							
4.	Grapes							
5.	Small Samosa							
6-	Cold Drink							
7.	Real juice							
	Total							
II.	Breakfast - II	50						
1	Keshar Burfee							
2	Cuckies-Biscuits-2							
3	Vaffors							
4	Banana							
5	Small Samosa/Kachori							
6	Tea							
	Total							
III.	Breakfast - III	30						
1.	Pine apple Burfee							
2.	Cuckies-Biscuits-2							
3.	Vaffors							
4.	Grapes							
5.	Small Samosa/Bread Pakoda							
6.	Cold drink							
7.	Real Juice							
8.	Tea							
9.	Coffee							
	Total							
IV.	Breakfast - IV	30						
1.	Plain Burfee							
2.	Cuckies-Biscuits-2							
3.	Vaffors							
4.	Grapes							
5.	Small Samosa							
6.	Tea							

7.	Coffee							
	Total							
V.	Breakfast - V	20						
		VVIPs						
1.	Rosted Kaju							
2.	Rosted Badam							
3.	Grapes and oranges							
5.	Cuckies-Biscuits-2							
6.	Vaffors							
7.	Kaju Katli - 2 piece							
8.	Tea with T-bag or coffee							
	Total I-V							
	Snacks	35						
VI.	Breakfast -VI	10						
		VVIPs						
1.	Rosted Kaju							
2.	Rosted Badam							
3.	Orange							
4.	Apple							
5.	Vaffors							
6.	Juice							
	Total							
VII.	Breakfast -VII	40						
1.	Samosa							
2.	Sweet - 2 pieces							
3.	Grapes							
4.	Cold drink							
	Total							
VII I.	Breakfast -VIII	50						
1.	Bread butter							
2.	Mix pakodi							
3.	Sweet cuckies							
4.	Tea							
	Total							
IX	Breakfast (Packets) - IV	1300						
	Laddu - 2 (100 g)							
	Dal kachori - 1 (70 g)							
	Total							
	Lunch-I	80						
1.	Tava Roti-2 types							
2.	Kadai Paneer							
3.	Bhindi/other seasonal vegetable							
4.	Dal/ Kadi Pakoda							

5.	Dahi Vada							
6.	Pulav (Basmati rice)							
7.	Rasmalai							
8.	Ice cream (Branded)							
9.	Salad							
10.	Rosted Papad							
11.	Tomato soup							
	Total							
	Lunch - II	300						
1.	Gulab Jamun							
2.	Vegetable Muttar Paneer							
3.	Vegetable Channa Masala							
4.	Veg. Kofta (Palak gravy)							
5.	Raita (Bundi)/Vegetarian Raita							
6.	Pulav (Basmati rice)							
7.	Puri - 2 types							
8.	Chappatti - 2 types							
9.	Salad							
10.	Rosted Papad							
	Total							
	Lunch -III	1200						
1.	Puri							
2.	Alloo-chholley ki sabji							
3.	Kaddu ki sabji/seasonal vegetable							
4.	Bundi							
	Total							
	Dinner - I	500						
1.	Chappathi - two types							
2.	Rice							
3.	One seasonal vegetable							
4.	Dal							
5.	Ice cream/Sweet Dish							
	Total							

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

वित्तीय निविदा

क.स.3 पेयजल आपूर्ति

प्रपत्र 'ब'-III

S.No.	Particular	Quantity	Rate/Unit (₹)	GST (₹)	Total Amount (₹)
1.	Drinking water/Bottles BIS marked of reputed brand 250 ml bottle	500 Nos.			
	500 ml bottle	750 Nos.			
	1000 ml bottle	1000 Nos.			
2.	Drinking water filtered in campors of 20 Litre capacity	200 Nos.			

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

वित्तीय निविदा

क.स.4 गमलों में अलंकृत पौधों की किराये पर आपूर्ति

प्रपत्र 'ब'-IV

S.No.	Particular	Approx. Quantity	Rate/Unit (₹)	GST (₹)	Total Amount (₹)
1.	Flower and ornamental plant pots	200 Nos.			

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

वित्तीय निविदा

क.स.5 विडियोग्राफी एवं फोटोबुक तैयार करना

प्रपत्र 'ब'-V

S.No.	Particular	Approx. Quantity	Rate/Unit (₹)	GST (₹)	Total Amount (₹)
1.	Videography with PMW camera including editing in consultation with committee in soft copy per hour	6 Hrs.			
2.	Preparation of photobook on silver metallic paper with cover of size 12"x36" per leaf	6 leaf			

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामग्री/ उपकरणों/ कार्यों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली/कार्य सम्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन विभिन्न प्रकार के कार्य टेन्ट सामग्री आपूर्ति/कार्यो/सेवाओं की जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम /कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन विभिन्न प्रकार के कार्य टेन्ट सामग्री आपूर्ति/कार्यों/सेवाओं की जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को विभिन्न प्रकार के टेन्ट सामग्री आपूर्ति/कार्यों/सेवाओं कार्य की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Affidavit

(on non-judicial stamp paper of ₹ 10/-)

I..... S/o
Aged..... yrs, residing at Proprietor/Partner/Director of
M/s do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s has been issued
acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the
District Industries Center.....The acknowledgment No.
is Dated and has been issued
for manufacture of following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum
Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and
that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is
fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I..... S/oAged yrs residing at
..... Proprietor / Partner/ Director of M/s verify
and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best
of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place Date

Appellant's Signature